जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651337 (का) 2651389(नि) फेक्स नं० 2741870
जयपुर फोन नं. 0141 2740121 (का) फेक्स नं. 2740121

क्रमांकः– प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु–वाणिज्य/पत्रा० ______/प्रे०सं०)337 जोधपुर, दिनांकः– 14/11/05

आदेश

विषयः विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–126 के अन्तर्गत में निर्धारण तथा धारा–127 के अन्तर्गत अपील ।

– – – – –

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–126 के अन्तर्गत में विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के मामले में निर्धारण हेतु प्रक्रिया निहित की गई है । उसमें यह भी चिन्हित किया गया हैं कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये "निर्धारण अधिकारी" उपभोक्ता के किसी भी स्थान या परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं और विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के मामले में जांच के आधार पर निर्धारण अधिकारी को "अनन्तिम" के साथ ही "अन्तिम निर्धारण" करना है ।

अतः विद्युत का निम्नानुसार किया गया उपयोग धारा–126 के विषयक्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत का अनाधिकृत उपयोग माना जायेगा :–

1– किसी भी कृत्रिम साधन द्वारा उपयोग, या

2– सम्बन्धित व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञा पत्र धारी द्वारा अधिकृत न किए गए साधन/उपाय द्वारा उपयोग या

3– दस्तांदाजी किए गए मीटर के माध्यम से उपयोग या

4– विद्युत के अधिकृत किए गए उपयोग के अलावा किसी अन्य प्रयोजन से विद्युत का उपयोग ।

यदि कोई व्यक्ति धारा–126 के अन्तर्गत किए गए अन्तिम निर्धारण से पीड़ित है, अर्थात् यदि किसी उपभोक्ता को निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए अन्तिम निर्धारण स्वीकार्य नहीं है तो वह अन्तिम निर्धारण के आदेश जारी किए जाने की तिथि के 30 दिवस के अन्दर–अन्दर अपील कर सकता हैं । ऐसे मामलों में अपील दायर किए जाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

अ– अपील, अन्तिम निर्धारण के आदेश के 30 दिवस के अन्दर–अन्दर "अपीलेट प्राधिकारी" के समक्ष दायर की जानी है ।

आ– अपील राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2004 की अधिसूचना द्वारा विहित प्रपत्र में की जाएगी । प्रपत्र की प्रतिलिपि अनुलग्नक–"अ" के रूप में सलग्न हैं ।

इ– अपील का ज्ञापन, निदर्शन–पत्र(Proforma) के अनुसार हस्ताक्षरित व सत्यापित किया जाएगा ।

ई– अपील के साथ निम्नानुसार शुल्क जमा करवाया जाएगा :–

1 लाख रूपये तक के निर्धारण के लिए	रूपये 500.00 का शुल्क
1 लाख रूपये से अधिक के निर्धारण के लिए	रूपये 1000.00 का शुल्क

उ– शुल्क अपीलेट प्राधिकरण के अध्यक्ष के पक्ष में उसके मुख्यालय पर संदेय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक द्वारा संदत्त किया जाना है ।

ऊ– जब तक निर्धारण की गई राशि की 1/3 के बराबर राशि निगम के यहां नकद या बैंक ड्राफ्ट से जमा नहीं करवा दी जाती है और जमा कराये जाने का प्रलेखीय साक्ष अपील के साि संलग्न नहीं कर दिया जाता है, अपील स्वीकार नहीं की जाएगी ।

अपील के शीघ्र निपटारा किए जाने को सुलभ बनाए जाने की दृष्टि से निगम ने अपने आदेश क्रमांकःवाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–275 द्वारा अपीलेट प्राधिकारी विहित किए हैं । अपीलेट प्राधिकारी चार स्तरों यथा खण्डीय स्तर/वृत्त स्तर/सम्भाग स्तर तथा निगम स्तर पर विहित किए गए है । विभिन्न स्तरों पर अपीलेट प्राधिकारियों का संघटन वही होगा जो आपूर्ति की निबन्धनों व शर्तो के उपाबन्ध–52 के सन्दर्भ में "समझौता समितियों" का है । "अपीलेट प्राधिकारियों" की वित्तीय शक्तियां निम्नवत् है :–

अपीलेट प्राधिकारी	वित्तीय शक्तिया
खण्डीय अपीलेट प्राधिकरण	रूपये 25000.00 तक प्रति मामला
वृत स्तरीय अपीलेट प्राधिकरण	रूपये 25000.00 से अधिक तथा रूपये 1.00 लाख तक, प्रति मामला
सम्भाग स्तर अपीलेट प्राधिकरण	रूपये 1.00 लाख से अधिक तथा रूपये 3.00 लाख तक प्रति मामला
निगम स्तर अपीलेट प्राधिकरण	पूर्ण शक्तियां

अपीलेट प्राधिकारयों द्वारा तय किए जाने वाले मामले वे होंगे जिनमें निर्धारण अधिकारियों ने उपभोक्ता परिसरों की जांच की हैं और विद्युत अनाधिकृत उपयोग (दुरूपयोग) पकड़ा हैं ।

ऐसे मामले, जिनमें जांच, अधिनियम की धारा–126 में विहित की गई रीति से सम्पादित नहीं की गई है, उपभोक्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर विभिन्न स्तरों पर गठित "समझौता समितियों" द्वारा निपटाये जा सकते हैं । अतः विद्युत ऊर्जा के दुरूपयोग के अनन्तिम तथा अन्तिम निर्धारण के मामले निर्धारण अधिकारी द्वारा तथा अपील के मामले अपीलेट प्राधिकारियों द्वारा व्यवहृत किये जाने हैं । दूसरी ओर निगम की "समझौता समितियां" बन्द मीटरों के मामलों, दोषपूर्ण मीटरों के मामले के अंकेक्षण की प्रेक्षितियों द्वारा डेबिट किए गए निर्धारणों आदि सम्बन्धित देयताओं के मामले स्वीकार करेगी ।

धारा–126 व 127 के सन्दर्भ में प्रकरणों के निपटारे की प्रक्रिया का हिन्दी में भी व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना हैं ताकि उपभोक्ताओं को अपील की प्रक्रिया तथा अपील के मामले में उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो सकें । उल्लेखनीय होगा कि अधिनियम की धारा–126 के सन्दर्भ में निर्धारण के मामले में यदि उपभोक्ता 30 दिवस की अवधि में अपीलेट प्राधिकारियों को अपील दायर करने में विफल रहता हैं तो उसका अपील करने का अधिकार समाप्त हो जाता हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि ऐसे मामलों में उपभोक्ता के पास सिविल न्यायालय में अपील दायर कारने का अधिकार निहित नहीं रहता हैं ।

इसलिए निर्धारण प्राधिकारियों के अन्तिम निर्धारण के आदेश के बारे में यदि अपील नहीं की गई अपीलेट प्राधिकरण का आदेश अन्तिमतः प्राप्त कर लेता है ।

सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों की कड़ाई से पालना की जानी चाहिये ।
संलग्न– उपर्युक्तानुसार ।

आदेशानुसार,

(एच०एस०देवड़ा)
मुख्य अभियन्ता(सी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर ।
- मुख्य अभियन्ता(जोधपुर जोन),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- जिला कलेक्टर, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/जालोर/चूरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर ।
- वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- उप मुख्य अभियन्ता(एम.एम.एण्ड सी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- सम्भागीय मुख्य अभियन्ता(बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर ।
- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न–की/पीपीएम/एम.एण्ड पी/बी.एफ.एल.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/ बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर ।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ ।
- निजी सचिव, सलाहकार(एम), राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय सलाहकार(एम) के अवलोकनार्थ ।
- प्रावे.सहा.अध्यक्ष, डिस्कॉम, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ हेतु ।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman-Commissioner, Collectorate, जोधपुर ।
- अति.पुलिस अधीक्षक(सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर(आपके अधिकारियों को भेजने हेतु अतिरिक्त प्रतियां संलग्न)
- प्रावे.सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़ ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- अधिशाषी अभियन्ता( ), जोधपुर डिस्कॉम,..................................
- प्रावे.सहा. मुख्य अभियन्ता(सी.पी.एम.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- सहायक अभियन्ता( ), जोधपुर डिस्कॉम,.. (आप के अधीनस्थ कार्यरत समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न हैं) ।
- माननीय श्री.. (सांसद/विधायक/जिला प्रमुख),................................ .... ।

मुख्य अभियन्ता(सी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

P.R.Choudhary/***